



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940

No. 39]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

का.आ. 43(अ).—अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार से सहबद्ध महाविद्यालय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची में हरियाणा राज्य के बह अकबरपुर, रोहतक स्थित महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बैचलर ऑफ़ वेटेरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री डिग्री (लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, हिसार द्वारा मान्यताप्राप्त) को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

और, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशुचिकित्सा महाविद्यालय और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यताप्राप्त करने और मान्यता समाप्त करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 16 के अधीन सलाहकार समिति पहली अनुसूची में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री को सम्मिलित करने पर विचार किया गया ;

और, केंद्रीय सरकार और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ने शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के लिए शिक्षण कार्यक्रम जारी रखा था ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशुचिकित्सा महाविद्यालय और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यताप्राप्त करने और मान्यता समाप्त करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, "डिग्री" उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	रजिस्ट्रीकरण हेतु
(1)	(2)	(3)
<p>"78 लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, हिसार हरियाणा राज्य निम्नलिखित के सम्बन्ध में :-</p> <p>(i) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, हरियाणा</p> <p>(ii) अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बहू अकबरपुर रोहतक, हरियाणा</p>	<p>बैचलर ऑफ़ वेटिनेरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी</p>	<p>बी.वी.एस.सी. और ए.एच.</p> <p>(यह अर्हता 1 दिसंबर, 2010 को या उसके बाद दिए जाने पर मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी);</p> <p>बी.वी.एस.सी. और ए.एच.</p> <p>(यह अर्हता केवल 21 नवंबर, 2019 को या उसके बाद दी गई मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी)</p>

[फा. सं. के -12052-6 / 6/2016- एल एच]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संख्या द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित अधिसूचना, द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित की गई थी।

1.	का.आ. 2841(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1990
2.	का.आ. 823(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1993
3.	का.आ. 1165(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1995
4.	का.आ. 3252(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1995
5.	का.आ. 1411(अ), तारीख 19 अप्रैल, 1996
6.	का.आ. 268(अ), तारीख 28 जनवरी 1997
7.	का.आ. 2082(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1998
8.	का.आ. 33(अ) तारीख 12 जनवरी, 2000
9.	का.आ. 122(अ) तारीख 13 फरवरी, 2001
10.	का.आ. 342(अ) तारीख 28 मार्च, 2002
12.	का.आ. 791(अ) तारीख 25 जुलाई, 2002
13.	का.आ. 1231(अ) तारीख 26 नवम्बर, 2002
14.	का.आ. 1371(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2002
15.	का.आ. 323(अ) तारीख 26 मार्च, 2000
16.	का.आ. 868(अ) तारीख 31 जुलाई, 2003
17.	का.आ. 1226(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2003
18.	का.आ. 34(अ) तारीख 12 जनवरी 2006

19.	का.आ. 1442(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2006
20.	का.आ. 81(अ) तारीख 25 जनवरी, 2007
21.	का.आ. 1052(अ) तारीख 29 जून, 2007
22.	का.आ. 364(अ), तारीख 19 फरवरी, 2008
23.	का.आ. 989(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2010
24.	का.आ. 570(अ) तारीख 15 मार्च, 2011
25.	का.आ. 2315(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2011
26.	का.आ. 33(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2012
27.	का.आ. 2312(अ) तारीख 29 जुलाई 2013
28.	का.आ. 2662(अ) तारीख 30 अगस्त, 2013
29.	का.आ. 1022(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2014
30.	का.आ. 2518(अ) तारीख 25 सितम्बर 2014
31.	का.आ. 3007(अ) तारीख 27 नवम्बर, 2014
32.	का.आ. 3318(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2014
33.	का.आ. 577(अ) तारीख 20 फरवरी, 2015
34.	का.आ. 2154(अ) तारीख 7 अगस्त, 2015

35.	का.आ. 2395(अ) तारीख 3 सितम्बर 2015	38.	का.आ. 198(अ) तारीख 20 जनवरी, 2017
36.	का.आ. 3416(अ) तारीख 16 दिसम्बर, 2015	39.	का.आ. 2858(अ) तारीख 1 सितम्बर, 2017
37.	का.आ. 1096(अ) तारीख 15 मार्च, 2016	40.	का.आ. 4233(अ) तारीख 31 अगस्त, 2018

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2019

S.O. 43(E).—WHEREAS a request has been received from International Institute of Veterinary Education and Research, a college affiliated to Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar regarding inclusion of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry degree (granted by Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar) imparted by the college at Bahu Akbarpur, Rohtak in the State of Haryana, in the First Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984(52 of 1984);

AND WHEREAS the Advisory Committee under rule 16 of the Veterinary Council of India (procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017 considered inclusion of the degree granted by Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences in the First Schedule;

AND WHEREAS the Central Government and the Veterinary Council of India had granted permission to the College to admit students from the academic year 2014-15 and continuation of teaching programme for First, Second, Third and Fourth year;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “Degrees”, for serial number 78 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognized Veterinary qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“78 Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar State of Haryana, in respect of:- (i) College of Veterinary Sciences, Hisar, Haryana ; (ii) International Institute of Veterinary Education and Research, Bahu Akbarpur, Rohtak, Haryana	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 1 st December, 2010); B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 21 st November, 2019).”

[F. No. K-12052-6/6/2016-LH]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Note : The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was subsequently amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number.-

1	S.O. 2841(E) , dated the 12 th October, 1990	21	S.O. 1052 (E), dated the 29 th June, 2007
2	S.O. 823(E), dated the 20 th April, 1993	22	S.O. 364 (E), dated the 19 th February 2008
3	S.O. 1165(E), dated the 4 th April, 1995	23	S.O. 989 (E), dated the 29 th April 2010
4	S.O. 3252(E), dated the 13 th November, 1995	24	S.O. 570 (E), dated the 15 th March 2011
5	S.O. 1411(E), dated the 19 th April, 1996	25	S.O. 2315 (E), dated the 05 th October 2011
6	S.O. 268(E), dated the 28 th January, 1997	26	S.O. 33 (E), dated the 28 th December 2012
7	S.O. 2082(E), dated the 15 th October 1998	27	S.O.2312 (E), dated the 29 th July, 2013
8	S.O. 33(E), dated the 12 th January, 2000	28	S.O. 2662(E), dated the 30 th August, 2013
9	S.O. 122(E), dated the 13 th February, 2001	29	S.O. 1022(E), dated the 02 nd April, 2014
10	S.O. 342(E), dated the 28 th March, 2002	30	S.O 2518 (E), dated the 25 th September, 2014
11	S.O. 791 (E), dated the 25 th July 2002	31	S.O. 3007 (E), dated the 27 th November, 2014
12	S.O. 836(E), dated the 8 th August 2002	32	S.O. 3318 (E), dated the 30 th December, 2014
13	S.O. 1231 (E), dated the 26 th November, 2002	33	S.O 577(E), dated the 20 th February 2015
14	S.O. 1371(E), dated the 27 th December, 2002	34	S.O.2154 (E), dated the 7 th August, 2015
15	S.O. 323 (E), dated the 26 th March 2000	35	S.O. 2395 (E), dated the 3 rd September, 2015
16	S.O. 868 (E), dated the 31 st July, 2003	36	S.O. 3416(E), dated 16 th December, 2015
17	S.O. 1226(E), dated the 22 nd October, 2003	37	S.O.1096 (E) dated 15 th March, 2016
18	S.O. 34 (E), dated the 12 th January, 2006	38	S.O. 198(E) dated 20 th January, 2017
19	S.O. 1442 (E), dated the 6 th September, 2006	39	S.O.2858 (E) dated 1 st September, 2017
20	S.O. 81(E), dated the 25 th January, 2007	40	S.O. 4233 (E) dated the 31 th August, 2018.